निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आश्विन 1931 (श0)

(सं0 पटना 490) पटना, वृहस्पतिवार, 24 सितम्बर 2009

सं0 3/एम.1–15/2001–4610

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

——————

संकल्प

10 सितम्बर 2009

विषयः–कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु उपाय–राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति का गठन।

रिट पिटिशन (क्रिमिनल) संख्या 666–70/1992 विशाका एवं अन्य बनाम् राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 13 अगस्त 1997 को पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश [जे0टी0 1997(7)एस.सी.384] में कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने, यौन उत्पीड़न से संबंधित परिवादों के निष्पादन एवं दोषी व्यक्तियों को दंड देने हेतु मापदंड एवं प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु दिशा–निदेश दिए गये हैं । इसके अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा भी आवश्यक निदेश जारी किए गए हैं । उक्त निदेशों के अनुसरण में एक राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति का गठन संकल्प संख्या 2403 दिनांक 04 मई 2001 के तहत, श्रीमती दीपिका पड्डा, भा0प्र0से0 की अध्यक्षता में किया गया था । उनके अवकाश में जाने के उपरांत उनके स्थान पर श्रीमती एस0 सिद्धू, भा0प्र0से0 को संकल्प संख्या– 7292 दिनांक 26 अगस्त 2004 के तहत उक्त समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उक्त समिति के कुछ सदस्यों का पदस्थापित स्थान से अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण समिति के पुनर्गठन की आवश्यकता हो गयी है ।

2. अतः राज्य सरकार ने, संकल्प संख्या 7292 दिनांक 26 अगस्त 2004 के साथ पठित संकल्प संख्या 2403 दिनांक 04 मई 2001 के तहत कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु उपाय के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति का, तुरत के प्रभाव से, निम्नानुसार पुनर्गठन करने का निर्णय लिया हैः–

(i)	श्रीमती एस0 सिद्धू, भा0प्र0से0(74), विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना–	अध्यक्ष
(ii)	राज्य मानवाधिकार आयोग में पदस्थापित आरक्षी महानिरीक्षक–	पदेन सदस्य
(iii)	श्रीमती विजयालक्षमी एन0, भा0प्र0से0, निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना–	सदस्य

(*iv*) समाज कल्याण विभाग द्वारा नामित किसी अनुभवी स्वयंसेवी संस्था की महिला प्रतिनिधि— सदस्य

(*v*) निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना— सदस्य–सचिव

3. उक्त पुनर्गठित समिति का कार्यकाल अगले आदेश तक रहेगा ।

4. उक्त समिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश में दिए गए दिशा–निदेश का अनुपालन कराने और एतत्संबंधी राज्य सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन की दिशा में विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा कृत कार्रवाई की समीक्षा करेगी और यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित विभागों/कार्यालयों द्वारा कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी ।

5. उक्त समिति कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न संबंधी आचरणों, चाहे ऐसा आचरण किसी कानून के तहत अपराध हो या सेवा नियमावली का उल्लंघन, के कारणों से उद्‌भुत शिकायतों के समुचित और कालबद्ध निष्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ।

6. यह समिति प्राप्त शिकायतों एवं उनके द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को समर्पित करेगी ।

7. उक्त समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार अवश्य होगी, किन्तु समिति की अध्यक्ष आवश्यकतानुसार कभी भी समिति की बैठक बुला सकेगी ।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 490-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in